रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062021-227472
CG-DL-E-10062021-227472

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 10, 2021/ज्येष्ठ 20, 1943
No. 319] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 10, 2021/JYAISTHA 20, 1943

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2021

सा.का.नि. 397(अ).—केन्द्रीय सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये 01 जुलाई 2021 को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 में, नियम 12 क में,-

(i) उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) उप-नियम (1) के अधीन अपेक्षित न्यूनतम प्रेषण से प्रेषण में कमी के मामले में, जिसका तिमाही आधार पर आकलन किया जाएगा, पट्टेदार, वास्तविक प्रेषण के लिए खनिज (नीलामी) नियम, 2015 (जिसे इसमे. इसके पश्चात

नीलामी नियम कहा गया है) के नियम 13 के अधीन देय रकम के अतिरिक्त राज्य सरकार को निम्नलिखित के बीच अंतर की बराबर रकम भी चुकाएगा, अर्थात्:-

(क) तिमाही के दौरान प्रेषित खनिजों के ग्रेड के लादे गए औसत के आधार पर उक्त तिमाही में उप नियम (1) के अधीन अपेक्षित न्यूनतम प्रेषण के बराबर मात्रा के लिए नीलामी नियम के नियम 13 के अधीन देय रकम; और

(ख) उक्त तिमाही में वास्तविक रूप से प्रेषित मात्रा के लिए नीलामी नियम के नियम 13 के तहत चुकायी गयी रकम:

परंतु वर्ष के अंत में नीलामी नियम के नियम 13 के अधीन चुकायी गई रकम का समाधान किया जाएगा और ऐसे समाधान पर यदि यह पाया जाता है कि पट्टेदार ने पूर्ण रूप से उस वर्ष के लिए उप नियम (1) के अधीन अपेक्षित न्यूनतम प्रेषण से अधिक या उसके बराबर प्रेषित किया है तब उस वर्ष की किसी तिमाही या तिमाहियों में प्रेषण में कमी के लिए पट्टेदार द्वारा चुकायी गयी किसी रकम को वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए भुगतान की जाने वाली रकम के साथ समायोजित किया जाएगा।

परंतु यह और कि खान विकास और उत्पादन करार के अधीन किसी न्यूनतम उत्पादन या प्रेषण अपेक्षा के गैर अनुपालन के लिए कार्य निष्पादन प्रतिभूति के विनियोजन के अतिरिक्त इस उप नियम के अधीन देय रकम होगी।

(1ख) जहां पट्टेदार पूर्णरूपेण वर्ष के लिए उप नियम (1) के अधीन अपेक्षित न्यूनतम प्रेषण को बनाए नहीं रखता है, तो राज्य सरकार सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् ऐसे पट्टे को रद्द कर सकती है।

(1ग) उन मामलों में जहाँ खनन पट्टे का निष्पादन खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 को लागू होने या उससे पहले किया गया है वहां खनन पट्टे के ऐसे निष्पादन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के पश्चात् या खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 के लागू होने की तारीख को, इनमे जो भी बाद में हो, वहाँ उप नियम (1क) और (1ख) के प्रावधान लागू होंगे।";

(ii) उप नियम (2) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु कि नया पट्टेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि उक्त वर्ष में ऐसे वार्षिक उत्पादन का कम से कम अस्सी प्रतिशत प्रेषित किया गया है।"

[फा.सं. 16/98/2020-खान-VI]

डॉ वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (I) की अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 279 (अ) तारीख 4 मार्च, 2016 में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 254 (अ), तारीख 8 अप्रैल 2021 में अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2021

G.S.R. 397(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, namely: —

1. (1) These rules may be called the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Third Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the 1st day of July, 2021.

2. In the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, in rule 12A,—

(i) after sub-rule (1), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(1A) In case of shortfall in dispatch from the minimum dispatch required under sub-rule (1), which shall be assessed on a quarterly basis, the lessee shall, in addition to the amounts payable under rule 13 of the Mineral (Auction) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the Auction Rules) for the actual dispatch, also pay to the State Government, an amount equal to the difference between the following, namely:—

(a) the amounts payable under rule 13 of the Auction Rules for the quantity equal to the minimum dispatch required under sub-rule (1) in the said quarter on the basis of the weighted average of grade of minerals dispatched during the quarter; and

(b) the amounts paid under rule 13 of the Auction Rules for the quantity actually dispatched in the said quarter:

Provided that a reconciliation of the amounts paid under rule 13 of the Auction Rules shall be done at the end of the year and on such reconciliation, if it is found that the lessee has dispatched more than or equal to the minimum dispatch required under sub-rule (1) for that year as a whole, then any amount paid by lessee for the shortfall in dispatch in any quarter or quarters of that year shall be adjusted with the amounts to be paid for the last quarter of that year:

Provided further that the amount payable under this sub-rule shall be in addition to any appropriation of performance security for non-compliance of any minimum production or dispatch requirement under the Mine Development and Production Agreement.

(1B) Where the lessee does not maintain minimum dispatch required under sub-rule (1) for the year as a whole, the State Government may terminate such lease after giving the lessee a reasonable opportunity of being heard.

(1C) In cases where the mining lease is executed on or before the commencement of the Mineral (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Third Amendment) Rules, 2021, the provisions of sub-rule (1A) and (1B) shall apply after a period on one year from the date of such execution of mining lease or the date of commencement of the Mineral (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Third Amendment) Rules, 2021, whichever is later.";

(ii) in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the new lessee shall also ensure that at least eighty percent of such annual production is dispatched in the said year.".

[F. No. 16/98/2020-M.VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note: The Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide notification number G.S.R. 279 (E), dated the 4th March, 2016 and last amended vide notification number G.S.R. 254 (E), dated the 8th April, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM